OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMS,
NHAVA SHEVA-I
EDI (CENTRALISED) SECTION,
JAWAHARLAL NEHRU CUSTOM HOUSE,
NHAVA SHEVA, URAN, RAIGAD,
MAHARASHTRA – 400 707
E-mail: edi.jc@gov.in

F.No. CUS/9886/2026-EDI-O/o Commr-CUS-Nhava Sheva Date-21-09-2026

PUBLIC NOTICE No. 113/2026

Sub: Module on drawl of Samples by the Customs Officers on request of AQCS officers. – reg.

विषय: AQCS अधिकारियों के अनुरोध पर सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा नमूने लिए जाने हेतु मॉड्यूल - संबंध में।

Attention of all the Importers, Customs Brokers and all other stakeholders is invited to ICES Advisory No. 34/2026 dated 20.08.2026 regarding introduction of module on drawl of samples by the Customs officers on request of AQCS officers. As a part of ongoing efforts to integrate PGAs with Customs EDI System, the system has been enhanced to receive online request from AQCS officer for drawl of samples by the Customs Officers, in cases where Bill of Entry has been marked to AQCS Officer for No Objection Certificate.

सभी आयातकों, सीमा शुल्क दलालों तथा अन्य सभी हितधारकों का ध्यान ICEGATE Advisory No. 34/2026 dated 20.08.2026 की ओर आकर्षित किया जाता है, जो AQCS अधिकारियों के अनुरोध पर सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा नमूने लिए जाने हेतु मॉड्यूल की शुरुआत से संबंधित है। पीजीए (PGAs) को सीमा शुल्क EDI प्रणाली के साथ एकीकृत करने के लिए जारी प्रयासों के क्रम में, प्रणाली को इस प्रकार उन्नत किया गया है कि जिन मामलों में बिल ऑफ एंट्री को अनापत्ति प्रमाणपत्र (No Objection Certificate) हेतु AQCS अधिकारी को चिह्नित किया गया है, उन मामलों में नमूने लिए जाने के लिए AQCS अधिकारी द्वारा किए गए ऑनलाइन अनुरोध को सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा प्राप्त किया जा सके।

2 . The request for drawl of sample from AQCS officer will be made available to Customs Officers at the time of examination and Out of Charge. A pop-up message will be displayed to the Customs officer for drawl of sample for a particular item in the Bill of Entry. It will be

Scanned with OKEN Scanner

mandatory for the Customs Officer to draw the sample; otherwise, the System will not allow Out of Charge for that particular Bill of Entry.

AQCS अधिकारी द्वारा नमूना लिए जाने का अनुरोध जांच (Examination) तथा आउट ऑफ चार्ज (Out of Charge) के समय सीमा शुल्क अधिकारियों को उपलब्ध कराया जाएगा। बिल ऑफ एंट्री में किसी विशेष मद के नमूने लिए जाने हेतु सीमा शुल्क अधिकारी को एक पॉप-अप संदेश प्रदर्शित होगा। सीमा शुल्क अधिकारी के लिए नमूना लेना अनिवार्य होगा; अन्यथा, प्रणाली उस संबंधित बिल ऑफ एंट्री के लिए आउट ऑफ चार्ज की अनुमति नहीं देगी।

3. The officer will generate the test memo using the existing test memo module using INS role and dispatch the sample using the existing mechanism. In order to ensure proper reconciliation within the system, the test memo generated in the system by the Customs officer will also be transmitted electronically to the AQCS officer. At the same time, officers shall continue to forward the physical copy of the test memo along with the sample of goods to the AQCS officer for necessary action.

अधिकारी INS भूमिका (INS Role) का उपयोग करते हुए मौजूदा टेस्ट मेमो मॉड्यूल के माध्यम से टेस्ट मेमो तैयार करेगा तथा मौजूदा व्यवस्था के अनुसार नमूना प्रेषित करेगा। प्रणाली के भीतर उचित मिलान/समन्वय सुनिश्चित करने के लिए सीमा शुल्क अधिकारी द्वारा प्रणाली में तैयार किया गया टेस्ट मेमो इलेक्ट्रॉनिक रूप से AQCS अधिकारी को भी प्रेषित किया जाएगा। साथ ही, अधिकारी आवश्यक कार्रवाई हेतु टेस्ट मेमो की भौतिक प्रति को माल के नमूने के साथ AQCS अधिकारी को भेजना जारी रखेंगे।

4. After the sample is dispatched and examined by the AQCS officer, the test report generated by AQCS will be digitally transmitted to the system by AQCS and will be integrated with the Bill of Entry. An option "NOC details" is made available to view AQCS's test report by the Officer, under "other" tab in "view_BE" option.

नमूना प्रेषित किए जाने और AQCS अधिकारी द्वारा उसकी जांच किए जाने के पश्चात, AQCS द्वारा तैयार की गई परीक्षण रिपोर्ट को AQCS द्वारा डिजिटल रूप से प्रणाली में प्रेषित किया जाएगा तथा उसे बिल ऑफ एंट्री के साथ एकीकृत कर दिया जाएगा। AQCS की परीक्षण रिपोर्ट देखने के लिए अधिकारी हेतु "view_BE" विकल्प के अंतर्गत "other" टैब में "NOC details" का विकल्प उपलब्ध कराया गया है।

5. The contents of this Public Notice shall be treated as a Standing Order for all the officers concerned.

इस लोक सूचना (Public Notice) की विषयवस्तु को सभी संबंधित अधिकारियों के लिए

Scanned with OKEN Scanner

स्थायी आदेश (Standing Order) के रूप में माना जाएगा।

6 . Importers/Customs Brokers/Stakeholders facing any difficulties or issues may email to icegatehelpdesk@icegate.gov.in.

किसी कठिनाई या समस्या का सामना कर रहे आयातक/सीमा शुल्क दलाल/हितधारक अपनी समस्या icegatehelpdesk@icegate.gov.in पर ई-मेल के माध्यम से भेज सकते हैं।

7 . Officers facing any difficulties or issues may email to saksham.seva@icegate.gov.in.

किसी कठिनाई या समस्या का सामना कर रहे अधिकारी अपनी समस्या saksham.seva@icegate.gov.in पर ई-मेल के माध्यम से भेज सकते हैं।

Digitally signed by
Bhetanabhotla Sumidaa Devi
Date: 21-09-2026 13:51:49

(B. SUMIDAA DEVI)
COMMISSIONER OF CUSTOMS
NS-I, JNCH, NHAVA SHEVA

Copy to:

1. The Chief Commissioner of Customs, Mumbai Customs Zone-II – for kind information.
   मुख्य आयुक्त, सीमा शुल्क, मुंबई सीमा शुल्क जोन-II – सादर सूचनार्थ।
2. All Principal Commissioners/Commissioners of Customs, JNCH.
   सभी प्रधान आयुक्त/आयुक्त, सीमा शुल्क, JNCH।
3. All Additional Commissioners/Joint Commissioners/Deputy Commissioners/Assistant Commissioners of Customs, JNCH.
   सभी अपर आयुक्त/संयुक्त आयुक्त/उप आयुक्त/सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क, JNCH.
4. DC, EDI for uploading on website.
   उप आयुक्त (EDI) – वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

Scanned with OKEN Scanner